न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/213/2025 दायर दिनांकः— 04/09/2025

जीसीएमएस नं0ः— 2024/482 निर्णय दिनांकः— 18/11/2025

बउनवान

1. विश्वेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्र जाति राजपूत निवासी सुण्डयाना तहसील कठूमर।

—————— सायल

बनाम

1. राजेन्द्रसिह पुत्र मु0 समुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी सुण्डयाना
2. रूवी पत्नी शिवरामसिंह जाति राजपूत निवासी फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करोली
3. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः—श्री रामजीलाल शर्मा—श्री मानसिंह चौधरी— अधिवक्ता सायल

—::निर्णय::—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1189/1125, 1188/1125, 1116, 1105, 1134/1230 ग्राम सुण्डाना तहसील कठूमर में स्थित है। सायल ने प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 3 में परिवार का सजरा पेश किया है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के पडदादा कल्याणसिंह की पैदा कर्दा आराजी है जिनका स्वर्गवास हो गया है जो आराजी कल्याणसिंह के स्वर्गवास के वाद समन्दरसिंह व मोतीसिंह को बहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें सायल को जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त हो चुके है। विवादित आराजी का हिस्सा गैरसायल सं0 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज चला आ रहा है। जिसमें सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ला0 8 का 5/6

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

हिस्सा बनता है। दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही हक हिस्सा व अधिकार प्राप्त हो जाते है। विवादित आराजी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से सायल के हक व हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गैरसायल सं0 1 ने आराजी खसरा नम्बर 1125 रकवा 1.37 हे0 का 1/2 हिस्सा का 20/27 हिस्सा यानि 2 वीघा जमीन जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 24.06.2010 को नरेशकुमार पुत्र मोतीलाल महाजन निवासी कठूमर को विना कब्जा लिये दिये विना प्रतिफल प्राप्त किये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विक्रय कर दी है। जिसके आधार पर नरेश कुमार ने अपने नाम इन्तकाल दर्ज व स्वीकार करा लिया। इसके वाद नरेश कुमार ने खसरा नम्बर 1125 का वयनामा दिनांक 02.10.2022 को गैरसायल सं0 2 रूवी को रजिस्टर्ड करा दिया है व उसके आधार पर गैरसायला सं0 2 रूवी ने अपने नाम इन्तकाल स्वीकार करा लिया है जो वयनामा व उसके आधार पर दर्ज व स्वीकृत इन्तकाल भी खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। गैरसायल सं0 1 ने अपने हिस्सा से अधिक जमीन का विक्रय किया है। वयनामें प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड बॉयड व वेअसर है। गैरसायल सं0 1 और 2 ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर खसरा नम्बर 1125 का तकासमा आपसी सहमति से तहसीलदार कठूमर के कार्यालय में कर लिया गया उक्त तकासमा के आधार पर खसरा नम्बर 1189/1125 गैरसायल सं0 1 के हक और हिस्से में आया एंव खसरा नम्बर 1188/1125 रकवा 0.50 हे0 गैरसायल सं0 2 के हक हिस्सा व कब्जे में आया व विभाजन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया। गैरसायलान आपस में सायल के खिलाफ मिले हुये है जो हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को गैरसायलं सं0 3 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है तथा सायल को पैत्रिक आराजी में मिलने वाले हिस्से से बंचित करना चाहते है गैरसायलान ने सायल को उसके हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देने व रहन वय करने की धमकी दी है। गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा वाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पावन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान की तलवी के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये।

गैरसायल सं0 2–3 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 03.10.'2025 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा गैरसायल सं0 1 दिनांक 03.10.2025 को स्वंय उपस्थित आया व वकालतनामा पेश करने को समय चाहा। दिनांक 10.11.2025 को गैरसायल सं0 1 उपस्थित नही आया जिसके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 कित 5, वयनामा दिनांक 24.06.2010, 02.12.2022, नामान्तकरण संख्या 2372, 1385, 1384, 478 व जमाबन्दी संवत् 2070, 2066 वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर की छाया पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को सावित करना है।

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

1. **प्रथम दृष्टा केसः–** अधिवक्ता सायल ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गैरसयल सं0 1 को सायल के पडदादा कल्याणसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त आराजी पैत्रिक है जिसमें सायल को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है लेकिन विवादित

आराजी गैरसायल सं0 1–2 की खातेदारी में दर्ज रहने से गैरसायलान सायल के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा रहन वय करना चाहते है। अतः अधिवक्ता सायल ने गैरसायलान को ता फैसला दावा स्टे आदेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया है। गैरसायलान की ओर से बाबजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नहीं हुआ और ना अपनी ओर से कोई जवाव प्रार्थना पत्र व किसी तरह का उज्र व एतराज पेश किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों, जवाब दर0 सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व अधिवक्ता गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत न्यायालय हाजा के आदेश व जमाबन्दियों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में खसरा नम्बर 1189/1125, 1105 गैरसायल सं0 1 राजेन्द्र सिह खसरा नम्बर 1188/1125 गैरसायला सं0 2 रूवी खसरा नम्बर 1116, 1134/1230 गैरसायल सं0 1 व अन्य साझीदारान की खातेदारी में दर्ज है तथा छाया प्रति वयनामों से खसरा नम्बर 1125 रकवा 1.37 हे0 का 1/2 हिस्सा में से 20/27 हिस्सा गैरसायल सं0 1 द्वारा नरेश कुमार को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वेचान करना व खसरा नम्बर 1125 का 50/137 हिस्सा नरेश कुमार द्वारा गैरसायल सं0 2 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान करना सावित है। नकल इन्तकालों से वयनामों के आधार पर खातेदारी दर्ज होना व समन्दरसिंह द्वारा राजेन्द्रसिंह को गोद लेना सावित है। सायल ने उक्त आराजी बाबा कल्याणसिंह की पैदा कर्दा आराजी होना तथा उक्त आराजी में गैरसायल सं0 1 के हिस्से में सायल का 5/6 हिस्सा पर कब्जा होना कथन किया है। सायल ने प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 2 में परिवार का सजरा अंकित किया है तथा विवादित आराजी को पडदादा कल्याणसिंह की पैदा कर्दा आराजी बताया है। विवादित आराजी पैत्रिक हो तथा विवादित आराजी पर सायल का गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में 5/6 हिस्सा हो ये तथ्य तो मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर तय किये जायेगे। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा

कर सकते है तथा रहन वय कर सकते है। प्रकरण एक ही परिवार से सम्बन्धित है। जिससे प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलनः**—यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में सायल के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या रहन वय कर दिया तो सायल को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में सावित होता है।

3. **ना पूर्ति होने वाली क्षतिः**— यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी को हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर रहन वय कर दिया तो वाद में बाद वहुलता वढेगी। इससे अपार हानि सायल के पक्ष में होना संभव है। गैरसायलान को किसी तरह की क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—:आदेशः—

अतः प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में सावित है। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार कर गैरसायलान को पावन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1189/1125, 1188/1125, 1116, 1105, 1134/1230 ग्राम सुण्डयाना तहसील कठूमर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 04.09.2025 को कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०